न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 62 / 2023   सी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023 / 111
दायर दिनांक :— 13.04.2023   निर्णय दिनांक :— 21.03.2025

1. सरपंच ग्राम पंचायत धोलिया पंचायत समिति बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी

2. पेशकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि खसरा नम्बर 66 रकबा 9.3887 हैक्टेयर गैर मुमकिन आगोर तथा खसरा नम्बर 65 रकबा 3.8364 हैक्टेयर किस्म गै.मुमकिन शमसान भूमि ग्राम खेतूसर पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप में स्थित है। वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि की तरमीम वक्त सेटलमेंट में नहीं की गई थी लेकिन वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना में उक्त वादग्रस्त खसरान् की तरमीम पटवारी हल्का द्वारा अपनी से और शमसान क्षेत्र से दूर जहां पर आगोर में कर दी है जो तरमीम सरासर गलत है। वर्तमान वादग्रस्त खसरान् के नक्शा में भी गलत तरमीम हो रखी है जबकि मौके पर शमसान व आगौर की भूमि प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार है और नजरी नक्शा अनुसार ही मौके पर शमसान स्थित है जिसके चारों तरफ राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार बजट पारित कर निर्माण कार्य करवाया हुआ है। वर्तमान में जो तरमीम हो रखी है व तरमीम आगौर भूमि में हो रखी है वर्तमान तरमीम अनुसार शमसान भूमि के रूप में काम में नहीं ली जा रही है। इसलिये उपरोक्त वर्णित खसरान् की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार एवं शमसान क्षेत्र अनुसार नवीन तरमीम किया जाना आवश्यक है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश कर कथन किया कि ग्राम खेतूसर पटवार क्षेत्र देदासरी के खसरा नम्बर 66 रकबा 9.3887 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आगोर तथा खसरा नम्बर 65 रकबा 3.8364 हैक्टेयर

21/3/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

किस्म गै.मु. शमसाान की तरमीम पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त की जाती है तो इस कार्यालय को किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम खेतुसर पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 66 रकबा 9.3887 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आगोर तथा खसरा नम्बर 65 रकबा 3.8364 हैक्टेयर किस्म गै.मु. शमसान वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 66 रकबा 9.3887 किस्म गै.मु. आगोर जो कि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है। उक्त भूमि की पूर्व में तरमीम नहीं हो रखी है इसलिए किस प्रकार तरमीम को दुरूस्त किया जाना है स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/3/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)